उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-38/2026/389 के-2/22-3-2025-17(1282)/22
लखनऊ: दिनांक: 06 फरवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी शमीम बानो (बन्दी संख्या-858/2018) पत्नी मो0 रियाज, निवासी-49 सुजातगंज, थाना-रेलबाजार, जनपद-कानपुर नगर, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-308/2013 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,कानपुर नगर के दण्डादेश दिनांक 16.10.2018 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.12.2021तक 03 वर्ष, 03 माह, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष, 03 माह,08 दिन की भोगी गई सपरिहार सजा, बंदी की आयु 70 वर्ष व जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट,कानपुर नगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।